न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2919 सन 2025

अशोक कुमार पुत्र राममूर्ति शर्मा,
निवासी ग्राम गांगरौल, थाना चोला, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। ..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या 46 सन 2025
अन्तर्गत धारा 316(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0
एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी (पी.ए.) अधिनियम।
थाना चोला, **जिला** बुलन्दशहर।

निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदन

1. यह **अग्रिम जमानत** आवेदन अन्तर्गत धारा 482बी0एन0एस0एस0, आवेदक अभियुक्त अशोक की ओर से उपरोक्त अभियोग में जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। सलंग्न शपथपत्र के अनुसार यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है किसी न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लम्बित नहीं है।

2. वादी मुकदमा की मृत्यु वर्ष 2025 में हो जाने के कारण वादी मुकदमा की पत्नी पूजा पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है, वादी मुकदमा की पत्नी पूजा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

3. अभियुक्त व वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. वादी मुकदमा नरेश पुत्र घूरे लाल के प्रार्थना–पत्र के आधार पर इस आशय की प्राथमिकी पंजीकृत हुई कि वह जाति से कोली है, जो अनुसूचित जाति में आते हैं। उसका पंजाब नेशनल बैंक, डी०ए०वी० तिराहा, बुलन्दशहर, मे खाता सं0–6198002100004586 में करन्ट खाता है। उसके गांव के पूर्व प्रधान अशोक शर्मा के खाते में दिनांक 04.03.2023 को 3,60,000/– रूपये ट्रांसफर कर दिये, क्योंकि अशोक शर्मा अपने ही गांव का व्यक्ति है, जब उसने अपने ट्रान्सफर किये गये 3,60,000/– रूपये मांगे तो इसने कहा कि वह तुम्हारे साथ बैंक चलेंगा, वह अपने खाते से पैसे निकालकर दे देंगा, इसे बहकाते हुए डेढ साल से अधिक का समय हो गया है और इसने उसे पैसे नहीं दिये और 25,000/– रूपये दिनांक 22.11.2023 को और निकाल लिये, वह दिनांक 02.10.2024 को सुबह के 07:00 बजे इसके घर पर गया। उसने अपने 3,85,000 /– रूपये मांगे तो इसने उसके साथ गाली गलौंच की और उसे जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया, ये बहुत ही दबंग व हँकडी पर उतारू हो गया और इसने उसके

Digitally signed by OMPRAKASH VERMA
Date: 2026.06.15 16:11:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3,85,000/– रूपये जबरदस्ती हड़प लिये, उसके साथ इसने अमानत मे ख्यानत की है और अपने मकशद को पूरा किया है। उसने पी०एन०बी० बैंक से स्टेटस भी निकलवाया, जोकि उसके खाते से दिये गये रूपये का ट्रांजेक्शन भी अंकित है। दिनांक 15.12.2024 को शाम के 06:00 बजे अशोक कुमार उसके दरवाजे के सामने रेलवे बाउन्डरी के पास आ गया और जबरदस्त गाली गलौंच करने लगा और बोला कि साला नरेश बड़ी रिपोर्ट करता है, इसको देखना है। इतने में ही उसकी पत्नी पूजा व मोहल्ले के बाबू लाल आ गये तो इन्होने विरोध किया तो इसने जाते वक्त धमकी दी कि साला कभी तो आयेगा और देखते ही उसे जान से मार दूंगा।

5. अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसको उपरोक्त मामले में झूंठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। उसने वादी मुकदमा की धनराशि का गबन नहीं किया है और न ही कोई जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज किया है। उसके वादी मुकदमा नरेश एवं मैसर्स शिव गंगा इन्फ्रास्ट्रेक्चर के पार्टनर सुन्दर सिंह से उसके अच्छे सम्बन्ध थे। लेबर भुगतान हेतु वे अपनी फर्म से उसके खाता संख्या–08412010034260 में धनराशि भेजते थे, जिसे वह निकालकर उन्हें दे देता था। इसी क्रम में दिनांक–01.03.2023 को 3,00,000/–रूपये तथा दिनांक–04.03.2023 को 3,60,000/–रूपये भेजे गये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक–22.11.2023 को पच्चीस हजार रूपये उसके द्वारा निकालने का आरोप भी गलत है, क्योंकि उक्त धनराशि सुन्दर सिंह द्वारा निकाली गयी थी, जिसका शपथ–पत्र भी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त मामला पैसों से सम्बन्धित है, जिससे एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का कोई मतलब वास्ता नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देरी से लिखायी गयी है। उपरोक्त मामले में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। उसके भागने या फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। इन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

6. वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः आवेदक–अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा नरेश के मु0–3,85,000 /– रूपये बेईमानीपूर्वक हड़प लिये, वादी मुकदमा पर अपनी धनराशि मॉगने पर उसके साथ जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अभियोग की प्राथमिकी में आवेदक–अभियुक्त अशोक नामित है। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना पाते हुए आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 316(2), 352, 351(2)

बी0एन0एस0 एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी (पी.ए.) अधिनियम विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

8. धारा–18 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होते है।

9. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक–अभियुक्त अशोक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का उचित आधार प्रकट नहीं होता है। तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2919 सन 2025 अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निरस्त किया जाता है।

दिनांक 15.06.2026

(ओम प्रकाश वर्मा–।।।)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
बुलन्दशहर।
आई.डी. यू.पी. 06142

बोबी कुमार–आशुलिपिक